

## DFO/CF द्वारा स्थल निरीक्षण के लिये निर्धारित जॉच सूची

परियोजना का नाम :- अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 1x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना रकवा 6.171 हे. वनभूमि का प्रस्ताव।

आन लाईन प्रस्ताव क्रमांक - FP/MP/THE/130772/2021

वन मण्डल का नाम :- अनूपपुर

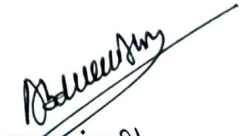
परिक्षेत्र का नाम :- अनूपपुर

स्थल निरीक्षण दिनांक :- 03/09/2021

| क्र.    | विशेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CF/DFO(T) द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|-----------|---------|-------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---------|-----------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|-----|----------------|--|--|--|
| 1       | सीमा हेक्टेयर                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.171 हेक्टेयर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
| 2       | वन भूमि का (अक्षांश देशांतर)                                                                                                                                                                                                                                                                         | <table><tr><th>विवरण</th><th>रकबा</th><th>बिन्दु</th><th>Latitude</th><th>Longitude</th></tr><tr><td rowspan="4">पार्ट-1</td><td rowspan="4">2 हे.</td><td>1</td><td>N 23°09'58.00"</td><td>E 81°37'41.00"</td></tr><tr><td>2</td><td>N 23°09'55.00"</td><td>E 81°37'45.00"</td></tr><tr><td>3</td><td>N 23°09'56.00"</td><td>E 81°37'50.00"</td></tr><tr><td>4</td><td>N 23°09'59.00"</td><td>E 81°37'49.00"</td></tr><tr><td rowspan="4">पार्ट-2</td><td rowspan="4">4.171 हे.</td><td>1</td><td>N 23°10'00.00"</td><td>E 81°37'57.00"</td></tr><tr><td>2</td><td>N 23°09'56.00"</td><td>E 81°37'57.00"</td></tr><tr><td>3</td><td>N 23°09'58.00"</td><td>E 81°38'09.00"</td></tr><tr><td>4</td><td>N 23°10'02.00"</td><td>E 81°38'08.00"</td></tr><tr><td>योग</td><td colspan="4">6.171 हेक्टेयर</td></tr></table> | विवरण          | रकबा           | बिन्दु | Latitude | Longitude | पार्ट-1 | 2 हे. | 1 | N 23°09'58.00" | E 81°37'41.00" | 2 | N 23°09'55.00" | E 81°37'45.00" | 3 | N 23°09'56.00" | E 81°37'50.00" | 4 | N 23°09'59.00" | E 81°37'49.00" | पार्ट-2 | 4.171 हे. | 1 | N 23°10'00.00" | E 81°37'57.00" | 2 | N 23°09'56.00" | E 81°37'57.00" | 3 | N 23°09'58.00" | E 81°38'09.00" | 4 | N 23°10'02.00" | E 81°38'08.00" | योग | 6.171 हेक्टेयर |  |  |  |
| विवरण   | रकबा                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | बिन्दु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Latitude       | Longitude      |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
| पार्ट-1 | 2 हे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N 23°09'58.00" | E 81°37'41.00" |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N 23°09'55.00" | E 81°37'45.00" |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N 23°09'56.00" | E 81°37'50.00" |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N 23°09'59.00" | E 81°37'49.00" |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
| पार्ट-2 | 4.171 हे.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N 23°10'00.00" | E 81°37'57.00" |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N 23°09'56.00" | E 81°37'57.00" |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N 23°09'58.00" | E 81°38'09.00" |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N 23°10'02.00" | E 81°38'08.00" |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
| योग     | 6.171 हेक्टेयर                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
| 3       | वन भूमि (संरक्षित वन /आरक्षित वन/राजस्व वन भूमि या किसी भी अन्य वन भूमि) की कानूनी स्थिति                                                                                                                                                                                                            | आरक्षित वनखण्ड-खुटवा-10, आरक्षित वन कक्ष 401,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
| 4       | अस्थायी केन्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन                                                                                                                                                                                                                                                          | आवेदक संस्था एवं वन कर्मचारियों के साथ संयुक्त सीमांकन चिन्हांकन किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
| 5       | अतिक्रमण का कोई भी लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                             | निरंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
| 6       | किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि या उससे सटे गैर वन भूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा निर्देशों का उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण | उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि में कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
| 7       | वनस्पति की स्थिति। साइट की गुणवत्ता/प्रजाति संरचना आदि                                                                                                                                                                                                                                               | प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त प्रस्तावित है, एवं मिश्रित वन है। प्रचलित कार्य आयोजना में उक्त कक्ष की साइट की गुणवत्ता एवं घनत्व दर्शित नहीं है, परन्तु मौके के अनुसार क्षेत्र की साइट गुणवत्ता IV A एवं घनत्व 0.5 का है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
| 8       | वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्य जीव की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्राय वन्य जीवों की बहुतायत) की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना।                                                   | आवेदित क्षेत्र में वन्य प्राणियों की उपस्थिति नगण्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
| 9       | वनस्पति/पशुवर्ग या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानिकता।                                                                                                                                                                                                                | कोई अद्वितीय पारिस्थितिकीय तंत्र मौजूद नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
| 10      | वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने में कामयाब रहे हैं तो कार्य आयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों ?                                                                                                                                                                                         | प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त प्रस्तावित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |
| 11      | ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।                                                                                                                                                                                                                                                | ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व का क्षेत्र नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |        |          |           |         |       |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |         |           |   |                |                |   |                |                |   |                |                |   |                |                |     |                |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/परिवार का निर्भरता                                                                                                                                                                                                                                                          | इस भूमि पर किसी भी परिवारों की निर्भरता नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव                                                                                                                                                                                                                                                                        | विस्थापन की स्थिति नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | वहां किसी भी पुनर्वास और पुनर्स्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये हैं ? वहां विस्थापित करने के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है ?                                                                                                                                      | प्रस्तावित क्षेत्र के व्यक्तियों से असहमति की स्थिति प्रकाश में नहीं आयी है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 | प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वन भूमि या गैर वन भूमि पर है। वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता का स्थान। अगर बिगड़ी वन भूमि में है तो वर्तमान कार्य आयोजना अनुसार विवरण गैर वन भूमि है तो नजदीक वन क्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलोमीटर दूर करने के लिये किया जाना चाहिए। | न्यायालय कलेक्टर जिला अनूपपुर म0प्र0 के आदेश क्रमांक 59/अ-19(3)/2019-20 दिनांक 26/02/2021 से ग्राम चचाई आबाद तहसील अनूपपुर स्थित खसरा नं. 83, 84, 85, 86, 275 कुल रकबा 6.171 हेक्टेयर वन विभाग के पक्ष में नामांतरित करने हेतु आदेश पारित किया गया है। उक्त भूमि पर मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त शहडोल के आदेश क्रमांक/282 दिनांक 30.09.2021 द्वारा 11 वर्षीय वनीकरण योजना की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई जो प्रस्ताव में संलग्न है। |
| 16 | प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नजदीक के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होना चाहिए।                                                                                                                                    | प्रस्तावित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नहीं है। संरक्षित क्षेत्र बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया जिला उमरिया की सीमा से लगभग 120 कि.मी. की दूरी पर है।                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 | इस क्षेत्र में जनजातीय की निर्भरता। चाहे आदिवासी के अधिकार के लिये इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है।                                                                                                                                                                                                       | अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 | परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।                                                                                                                                                                                                                                   | परियोजना की स्वीकृत से इलाके के लोगों को रोजगार की संभावना है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19 | नवीनीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया है या नहीं।                                                                                                                                                                                                 | प्रकरण नया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20 | गैर साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जांच विकल्प।                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | वन भूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिये अनुरोध किया है, उपयोगता एजेंसी द्वारा इसका प्रमाण पत्र                                                                                                                                                                                           | उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा न्यूनतम वन भूमि की उपयोगिता बावत् वचन पत्र दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22 | वन भूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुए पेड़ वृद्धि को बचाने की कोई गुंजाइश।                                                                                                                                                                                       | 6.171 हे. वनभूमि व्यपवर्तित किए जाने से 580 नग विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष प्रभावित होंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23 | महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे।                                                                                                                                                                                                                                                                             | कुछ नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24 | परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ डी.एफ. ओ. की विशिष्ट सिफारिशें।                                                                                                                                                                                                                                   | आवेदित क्षेत्र 6.171 हे. में 1x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना – इकाई के उपसंगीय निर्माण कार्य की अनुशंसा की जाती है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

स्थान - अनूपपुर  
दिनांक - 25.09.2021

  
 (डॉ. ए. ए. अंसारी)  
 (आई. एफ. एस.)  
 Divisional Forest Officer  
 Division Anuppur (M.P.)